माननीय महमीम/ महोदय/ महोदया,

विषय : बहन बेटी बचाओ - महिलाएं / लड़किया / छोटे बच्चो के विरुद्ध हो रहे एट्रोसिटीज़ के बारे में सुरक्षा तथा संरक्षणात्मक कदमो की पहल

सन्दर्भ : क्या इसकी □ वश्यकता है ? कोई भी अखबार या न्यूज़ पोर्टल उठाइये और □ प महिलाएं / लड़किया / छोटे बच्चो के विरुद्ध हो रहे एट्रोसिटीज़ की खबर पढ़ सकते हैं, ि□ ससे कोई भी इन्सान शर्मसार हो □ ाए

मैं, इस देश का नागरिक, □ पको बड़ी उम्मीदों और अपेक्षाओं से लिख रहा हूँ के इस देश की महिला, हमारी माताए, बहने और बच्चियों की सुरक्षा कीि□ ए।

समय के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। कानून का भरकम साथ होने के बाव□ ूद देश की महिलाएं अधिक असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इससे □ नता के बीच भय का वातावरण निर्माण हु□ है और ये और भी गंभीर बात है।

बलात्कार और अन्य अत्याचार को काफ़ी हद तक कम किया □ ा सकता है अगर हम समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। □ ब भी बलात्कार □ ैसी घटनाएं होती हैं, तो हमें बड़ा दुःख होता हैं। पर बात उससे □ गे कभी नहीं बढ़ती। सभी नागरिकों के लिए ये चिंता का विषय हैं। हम में से कइयों ने इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से झेला है, शायद एक दोस्त या परिवार के सदस्य के रूप में, एक वकील, डॉक्टर, सामाि□ क कार्यकर्ता या अन्य रूपों में। हम ये पत्र □ पको इस उम्मीद से लिख रहे हैं के निम्नलिखित मुद्दों के अनुसार □ वश्यक कदम उठाए □ ाएंगे, ि□ ससे की ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी और हमारे देश की महिलाएं सर ऊंचा कर □ ज़ादी से □ ी सकेंगी।

लम्बे समय के लिए तत्परतासे निम्नलिखित मुद्दों पर गौर करना □ वश्यक है :

तफ्दीश या ट्रायल के स्तर पर

अ) पुलिस के पास हमेशा बीट मार्शल और पैट्रॉल स्क़्वाड्स चाहिए। साधारणतः किसी भी भयंकर अपराध के बाद ऐसे बीट मार्शल्स और पैट्रॉल स्क़्वाड्स कुछ सप्ताह तक होते हैं। पर बीट मार्शल्स और पैट्रॉल स्क़्वाड्स का हमेशा होना □ वश्यक है, ना की घटना के बाद सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए वो रहें।

ब) महिलाओं के विरुद्ध हुए किसी / सभी क्रिमिनल ऑफेंस की चा□र्शीट तुरंत द□र्की □ाए और इंडियन एविडन्स एक्ट के तहत सभी उपलब्ध बातों पर ध्यान दिया □ाए ताकि उसमे ऐसी कोई खामिया न रहे ि□ससे □ रोपी को बचाव के लिए फायदा हो। साधारणतः चा□र्शीट एफ□ ई□ र द□र्होने के बाद १५ दिनों के अंदर बनाई □ानी चाहिए।

क) छोटी उम्र के बच्चो के विरुद्ध हो रहे अपराधों को हर रो□ सुना □ाए और तीन महीनो के अंदर ये ट्रायल ख़त्म हो ऐसा प्रयास होना चाहिए। खास परिस्थितियों में इसे एफ□ ई□ र द□र्होने के अधिकतम ६ महीनों के अंदर पूरा किया □ाए।

ड) □ वश्यकता पड़ने पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केसेस को लिया □ाए ताकि ऐसे केसेस को अधिकतम ६ महीने याने के १८० दिनों के भीतर निर्णय दिया □ा सके, ि□ससे कानून के मुताबिक दोषी को सज़ा दी □ा सके।

इ) इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को □ वश्यक स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रशिक्षित किया □ाना चाहिए ताकि वो ऐसे केसेस की समय में और उचित ढंग से तफ्दीश कर सके।

फ) हर पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल ट्रायल का अच्छा अनुभव होने वाला एक लीगल ऑफिसर अवश्य हो, जिससे वो पुलिस ऑफिसर्स को कानूनन रूप से उचित मार्गदर्शन कर सके ताकि चार्जशीट के वक़्त उसे कोर्ट में उचित रूप से पेश की जा सके।

ग) बलात्कार और अन्य रूप से पीड़ित के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों की सक्षमता को राज्य सरकार जांच ले, ताकि ऐसे अपराधियों पर उचित ढंग से मुक़दमा चलाया जा सके। इस सन्दर्भ में राज्य सरकार अनुभवी वकीलों की नियुक्ति करें।

ह) ऐसे संवेदनशील विषयों के मामले में जो जज नियुक्त होते हैं उनके लिए इसकी तैयारी के सत्र और कार्यशाला आवश्यक किये जाए ताकि उनके नज़रिये में कही भी निष्ठुरता और उपेक्षा ना आए या उनके व्यक्तिगत या धार्मिक अनुबंध केस को पक्षपाती ना कर दे।

पीड़ित के स्तर पर

अ) पीड़ित के साथ काम कर रहे स्थानिक एनजीओज़ के साथ टाय-अप्स होना आवश्यक हैं।

ब) पीड़ितों को काउंसलिंग दी जानी चाहिए और उनके और उनके परिवार के प्रति पुलिस का बर्ताव मानवीय और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए।

क) लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के योजनाओं को और मज़बूत करना चाहिए। मानसिक आघात पर थेरपी की सेवा दी जानी चाहिए और उन बच्चों की विशेष देखभाल होनी आवश्यक है, ताकि बड़े होकर ये बच्चे हिसंक या मानसिक रूप से ग्रसित न बने।

ड) शोषण से पीड़ितों को उसी अवस्था में छोड़ा जाता है जिससे उन पर उसी या किसी और प्रकार के शोषण होने की संभावना रहती है। इसीलिए उनका उचित ढंग से पुनर्वास होना चाहिए और उनके लिए अधिक आश्रम, स्वास्थ्य केंद्र और आर्थिक मदद के केंद्र बनने की आवश्यकता है। शिक्षा तथा रोज़गार के मौके और बच्चो की देखभाल की सेवाएं सरकार की ओर से सहृदयता से देनी जानी चाहिए।

योजनाओं के स्तर पर

अ) पुलिस स्टेशन में अफसरों को उनके केस को सुलझाने के क्षमता के □ धार पर पदोन्नति दी □ानी चाहिए और पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसरों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए ताकि लोकसंख्या के अनुसार पुलिसों की क्षमता को बढ़ाया □ा सके।

ब) एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन द्वारा सुझाये गए बदलाव को राज्यों ने लागू करना चाहिए। खास कर मलिमथ कमिटी की पुलिस रिफॉर्म्स की रिपोर्ट को □ □ के संदर्भ मे बदलाव लाकर लागु करना चाहिए ताकि राज्य के कानून और व्यवस्था के प्रार्थमिक उद्देश्य के साथ कोई समझौता नहीं हो।

क) राज्य सरकार ने मैरिटल रेप याने के वैवाहिक बलात्कार को □ ईपीसी के तहत अपराध घोषित करने के कानून को लागू करना चाहिए। इससे हिंसक रिश्तों में फसी हज़ारो महिलाओं की ज़िंदगी बच सकती है, □ो की कानूनन और □ र्थिक रूप से उनके पतियों के साथ बंधी हैं।

ड) सार्व□ निक संस्थाओं के लिए राज्य सरकार ऑफिसर्स नियुक्त करें ताकि कानून और व्यवस्था सिर्फ़ कागज़ पर धरी ना रहें, बल्कि उसका □ नता के लिए उचित उपयोग हो रहा हो।

इ) महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाये गए कानून के अमल में बहुत बड़ी दुरी है। इसको सिर्फ़ कनिष्ठ अफसरों की हमेशा ट्रेनिंग द्वारा और वरिष्ठ अफसरों द्वारा उस पर हमेशा नज़र रखने से सुधारा □ा सकता है। इन अपराध की गंभीरता को पुलिस फ़ोर्स को समझाना और उनके पोस्ट के साथ उन्हें □ो ताकत और ज़िम्मेदारी मिली हैं उसका महत्त्व समझाने की □ वश्यकता है। लैंगिक शोषण से बच्चो की सुरक्षा □ैसे कानून की समझ उनमे लाने के साथ साथ सामा□िक बदलाव के उपक्रमों की पहल राज्य सरकार द्वारा की □ानी चाहिए।

सामाजिक स्तर पर

अ) पाठशालाओं में शिक्षा से □ुडी कार्यशालाएं तथा कैम्प्स अवश्य रूप से लिए □ाने चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता के मुद्दों के बारे में □ागरूकता निर्माण की □ा सके। देश में लैंगिक दुर्भाव और महिलाओं को कमज़ोर समझने की व्यवस्था के कारण ही महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और अपराध बढ़ रहें हैं। अगर लड़कों को बचपन से ही अनुकंपा, हमदर्दी और लैंगिक समानता □ैसी शिक्षा मिले, तो बड़े होकर वो महिलाओं को वस्तु समझना या उनके प्रति हिसंक होने □ैसा व्यवहार करें इसकी संभावना कम होती हैं।

ब) छोटी लड़कियों को पाठशालाओं में खुद की सुरक्षा / मार्शल □ र्ट का प्रशिक्षण देना अनिवार्य करना चाहिए, □िसमे उन्हें कमसे कम प्राथमिक रूप से खुद की सुरक्षा करना □ ना चाहिए। अपराध होते रहेंगे □ ब वो करनेवाले बड़ी मात्रा में रहेंगे, पर राज्य सरकार को ऐसे कदम उठाने ही चाहिए □िससे बच्चियां और महिलाएं कमसे कम खुद की सुरक्षा कर पाए।

क) □ पात्कालीन स्थितियों का कैसे सामना करें इसकी ट्रेनिंग के साथ, पुलिस अफसरों को इस बात के लिए भी प्रशिक्षित किया □ाए की वो व्यक्तिगत पक्षपात और पूर्वाग्रहों को बलात्कार के पीड़ितो के बीच में ना लाए। इससे महिलाओं में □ गे □ कर अपने विरुद्ध हुए अपराध को दर्ज़ करने का साहस मिलेगा। कई बार पुलिस पीडीत को दोष देती है और महिला के कपड़ो के □ धार पर या उनके बाहर निकलने के समय के □ धार पर उनका चारित्र्य हनन करती है। इस तरह के वातावरण से □ो अपराध करते हैं उन्हें फायदा ही होता है। इस तरह के व्यवहार में दोषी पाए गए अफसरों पर सख्त कारवाही की □ानी चाहिए।

ड) बड़ो के लिए लैंगिक समानता के कैम्प्स और उपक्रम हर □गह हमेशा □ योि□त किए □ाने चाहिए ताकि समा□ में महिलाओं पर हो रहें अत्याचार और अपराध के बारे में □ागरूकता □ ए और लड़कियों को बढ़ने के लिए सुरक्षित और सुदृढ़ वातावरण मिले। भारतीय समा□ में ऐसे कई लोगों को स्थान मिलता है □ो सोचते हैं के बलात्कार या लैंगिक शोषण, छेड़छाड़ में पीड़ित का दोष होता है। उन्हें ये सिखाना □ वश्यक है के ऐसे अपराध करनेवाले पुरुष इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं ना की वो पीड़ित। इस तरह के विशाल

मानसिक बदलाव को लाना है तो हमें बच्चो और बड़े लोगों के लिए शैक्षणिक उपक्रम चलाते हुए इस तरह के कुछ छोटे कदम उठाना आवश्यक हैं।

इ) महिलाओं के लिए जो राज्य सरकार की तत्काल हेल्पलाइन्स हैं उनका विज्ञापन और अधिक प्रमाण में हो और इन हेल्पलाइन्स को और अधिक प्रभावी किया जाए। महिलाओं को उनके सुविधाओं, हक़ और सरकार द्वारा उनकी समस्याओं पर जो हल उपलब्ध हैं उसके बारे में जागरूक किया जाए। इसे भी जनता में इस विषय की कैनवासिंग और कैम्पेनिंग करके और बच्चों और बड़ो के लिए पाठशालाए, रहिवासी क्षेत्र, कामकाज की जगहे और अन्य जगहों पर कार्यशालाएं लेकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

फ) भयंकर अपराध की शिकार पीड़ितों से किस तरह से व्यवहार किया जाए इस की गाइडलाइन्स याने के दिशा निर्देशक तत्व तैयार कर उसको विज्ञापन के ज़रिये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए तथा इस विषय में कम्पैनिंग कर इसकी संवेदनशीलता को भी लोगों को समझाया जाए। इससे पीड़ित को दोषी बताना, बलात्कार जैसी घटना से हुए मानसिक आघात, लैंगिक छेड़छाड़ और शोषण और अन्य अपराधों में कमी लायी जा सकती हैं। इससे पीड़ित का पुनर्वास करने में समाज की क्या भूमिका हो सकती है इस बारे में भी जागरूकता निर्माण होगी। पीड़ित के प्रति निर्घृण व्यवहार, उन पर दोषरोपण और मानसिक रूप से उन पर आघात करना, इन बातों के लिए गंभीर दंड दिया जाना चाहिए।

ग) पुलिस फ़ोर्स में और अधिक महिलाओं की भरती के बड़े अभियान की पहल होनी चाहिए। इससे महिलाओं को अच्छे स्तर की नौकरी और कमाई के साधन मिलेंगे, जिससे उन्हें समाज में और अधिक सक्षमता हासिल होगी। इससे पीड़ित महिलाओं को उनके ऊपर हुए अत्याचार पर आवाज़ उठाने में भी प्रेरणा मिलेगी और महिला अधिकारियों के पास वो अपनी शिकायतें दर्ज कर पाएंगी।

ह) सरकार द्वारा महिलाओं को ऐसा वातावरण मिलने की आवश्यकता हैं, जिसमे उन्हें लगे की उनकी आवाज़ सुनी जाती हैं और ऐसी भी सुरक्षित जगहे हैं जिसमे वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए। जब भी

उन्हें □ वश्यकता हो, महिलाओं को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इस बात पर ध्यान देना □ वश्यक है के पीड़ित को ज़लील या न्याय से दूर नहीं किया □ ाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा की □ ाएगी। मिडिया के कई सारे ज़रिये इस्तेमाल कर राज्य सरकार को इन कल्पनाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहिए और इस विषय में उठाये गए कदमों के बारे में विज्ञापन, कैनवासिंग और कैम्पेनिंग के ज़रिये लोगों में □ ागरूकता निर्माण करनी चाहिए।

ई) मिडिया में स्पष्ट रूप से लिंगभेद और महिलाओं को निचा दिखाने वाले कंटेंट पर सख्त सेंसरशिप लागू होनी चाहिए, खास कर बलात्कार, महिलाओं का गलत इरादे से पीछा करना इत्यादि चीज़ो को बढ़ाचढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिए। नागरिकों को प्रभावित करने में मिडिया की भूमिका और ज़िम्मेदारी की समझ उन्हें दी □ ानी चाहिए और इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा सख्त अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए।

□) पुलिस अफसर □ ो इस तरह के अपराध में दोषी पाए □ ाते हैं, उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ शिकायत द□ करने के लिए □ ो भी फोरम्स और हेल्पलाइन्स उपलध्ब हैं उन तक □ सानी से पहुंचना संभव हो।

क) सार्व□ निक परिवहन संसाधनों (रेल सेवा) में, महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला बोगी में □ ो पुरुष पुलिस अफसर तैनात होते हैं, ज़्यादातर वो खुद ही हिंसक होते हैं। ऐसे वातावरण में सुरक्षित महसूस करना मुश्किल हो □ ाता है, □ ब अफसर खुद ही गलत व्यवहार करते हो। इससे संलग्न अधिकारी ऐसे दुर्व्यवहार की प्रभावी रूप से □ ांच करते रहें। ऐसे व्यवहार की □ िन फोरम्स में शिकायत द□ की □ ा सकती है, उस तक □ म लोग □ सानी से पहुंच सके ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए।

ल) रास्तों पर और अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए □ ाए और सही तरीकेसे चलनेवाले स्ट्रीटलाइट्स की उपलब्धता हो।

म) बच्चों के लैंगिक शोषण के बारे में □ ागरूकता का निर्माण पाठशाला और पारिवारिक स्तर से होना चाहिए। बच्चों के लैंगिक शोषण की शुरुवात ज़्यादातर परिवार से ही होती है। माता-पिता और पालकों को

इस विषय पर बोलने के लिए प्रोत्साहन देना तथा उन्हें इस विषय पर शिक्षित करना □ वश्यक है, ताकि वो इस विषय की शिकायत द□ कर सके और ना की परिवार की इज़्ज़त के बारे में सोच कर इससे अलिप्त रहें। ये भी बच्चों और बड़े लोगों को इस विषय पर शिक्षित करके ही संभव हो पाएगा। इसीलिए □से के पहले भी □सका उल्लेख किया गया है, इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा पाठशालाए, कामका□ की □गहे, रहिवासी क्षेत्र इत्यादि □ गहों पर कैंपेन्स चलाना □ वश्यक है।

एक ज़िम्मेदार और सक्रीय नागरिक होने के नाते, मेरी □ प से ये विनती है के ऊपर उठाये गए मुद्दों पर गौर करें और ये सुनिश्चित करें की हमारी माँ, बहने और बेटियां सुरक्षित रहें और इस विषय पर □ प सकारात्मक कदम उठाए। माँ भारती भी तो यही चाहती हैं।